

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	429]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 26, 2019/श्रावण 4, 1941
No.	429]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 2019/SHRAVANA 4, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2019

सा.का.िन. 529(अ).—केंद्रीय सरकार ने, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 926(अ) दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 से स्थापित किया है;

और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त करने के पश्चात, अब उक्त हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण को समाप्त करने के लिए अनुरोध किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा विखंडित करने से पूर्व की जानी वाली अथवा हटाई जाने वाली सम्बंधित चीज़ों को छोड़कर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 की उक्त अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 926(अ) को भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विखंडित करती है।

[सं. ए-11014/4/2008-एटी]

श्रीनिवास आर. कथिकीथाला, अपर सचिव

3824 GI/2019 (1)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2019

G.S.R. 529(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) and on receipt of the request from the Government of the State of Himachal Pradesh in this behalf, the Central Government has established the Himachal Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 30th December, 2014 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions (Department of Personnel and Training), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 926(E), dated the 29th December, 2014;

And whereas, the Government of the State of Himachal Pradesh, after obtaining the concurrence of the High Court of Himachal Pradesh, has now made a request for abolition of the said Himachal Pradesh State Administrative Tribunal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the said notification number G.S.R. 926(E), dated the 29th December, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

[No. A-11014/4/2008-AT]

SRINIVAS R. KATIKITHALA, Addl. Secy.